राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1)/नविवि/अभियान/2021/ जयपुर, दिनांक : 24 SEP 2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान शहर–2021 के दौरान अभियान के नगर नियोजन सम्बन्धी कार्यों यथा – मास्टर प्लान, जोनल डवलपमेंट प्लान, सेक्टर ले–आउट प्लान्स आदि की समीक्षा व बाधाओं को दूर करने व समय–समय पर मोनिटरिंग किये जाने हेतु निम्नानुसार जोनवार प्रभारी अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :–

क्र. सं.	जोन	मुख्य प्रभारी	अतिरिक्त प्रभारी	सम्भाग/जिला प्रभारी
1.	जयपुर	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर नगर निगम (हेरिटेज)	वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर (जिला–जयपुर, दौसा, सीकर व झुन्झुनू)
2.	जोधपुर	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर (जिला–जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर व जैसलमेर)
3.	अजमेर	श्री एच.एस. संचेती, प्रमुख सलाहकार (नगर नियोजन), राजस्थान, जयपुर	निदेशक (नगर आयोजना), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर (जिला–अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर व टोंक)
4.	उदयपुर	श्री एच.एस. संचेती, प्रमुख सलाहकार (नगर नियोजन), राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर	वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर (जिला–उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद व डूंगरपुर)
5.	बीकानेर	निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर (जिला–बीकानेर, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर व चुरू)
6.	कोटा	निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर	वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा (जिला–कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व सवाईमाधोपुर)
7.	भरतपुर	मुख्य नगर नियोजक(एनसीआर), राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम(ग्रेटर), जयपुर	वरिष्ठ नगर नियोजक, (एनसीआर) (जिला–अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली)

उक्त समस्त प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित जोन में आदेश जारी होने की तिथि से आवश्यक रूप से भ्रमण कर अभियान से सम्बन्धित तकनीकी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सम्भाग/जिला प्रभारी अपने–अपने जिलों में स्थित नगरीय निकायों हेतु अपने कार्यालय के उप/सहायक नगर नियोजक/जिला नगर नियोजको को सहायक प्रभारी के रूप में नियुक्त करेंगे एवं अभियान में नगर नियोजन सम्बन्धी कार्यों को गति प्रदान करेंगे। अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी अपने सम्भाग के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नगरीय निकायों के अधिकारियों से प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं मुख्य प्रभारी अधिकारी कोअवगत करायेंगे। अतिरिक्त प्रभारी एवं सम्भाग/जिला प्रभारी अधिकारी के द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों की प्रगति की समीक्षा मुख्य प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं नगर नियोजन सम्बन्धी प्रकरणों/समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे।

समस्त प्रभारी अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे नियमित एवं आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जोन में आने वाली नगरपालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर निकाय प्रन्यासों/नगर विकास

Scanned with CamScanner

प्राधिकरण में अभियान अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यवाही का समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से सम्पादित करवाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हुए समन्वय का कार्य करेंगे व राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान समय–समय पर जारी आदेश, परिपत्रों व निर्देशों से अद्यतन रहेंगे।

प्रभारी अधिकारियों द्वारासलाहकार (UDH & LSG) प्रकोष्ठ, नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर कोअभियान से सम्बन्धितप्रमुख कार्यों की प्रगति बाबत "Google Sheet" के माध्यम से नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. श्री एच.एस. संचेती, प्रमुख सलाहकार (नगर नियोजन), राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को प्रेषित कर निर्देशित किये जाने हेतु।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक(नगर आयोजना), जयपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
10. मुख्य नगर नियोजक, एनसीआर, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व/पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
12. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर नगर निगम (ग्रेटर/हेरिटेज), जयपुर।
14. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
16. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर/एनसीआर/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
17. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
18. सम्बन्धित अधिकारी श्री

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner